राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020
(2020 का अधिनियम संख्याक 3)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को, सुशासन के अध्युपाय के रूप में, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 18 दिसम्बर, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आधार संख्यांक" से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

(ख) "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यष्टि की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्यांक केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, और जन आधार आई.डी. जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उसकी शुद्धता को या कमी को सत्यापित करता है;

(ग) "प्राधिकरण" से धारा 19 के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "बायोमैट्रिक सूचना" से किसी व्यष्टि का फोटो, अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन, या ऐसी अन्य जैविक विशेषता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीय अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) अभिप्रेत है;

(च) "जनसांख्यिकीय सूचना" में किसी व्यष्टि का नाम, जन्म की तारीख, पता, जाति, जनजाति, हकदारी का अभिलेख, आय और चिकित्सीय इतिहास और अन्य सुसंगत सूचना सम्मिलित है;

(छ) "नामांकन" से इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी कुटुंब का नामांकन अभिप्रेत है;

(ज) "कुटुंब" से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा एक दूसरे से संबंधित और सामान्य रूप से साथ-साथ निवास और भोजन करने वाले सदस्यों का समूह अभिप्रेत है;

(झ) "निधि" से धारा 28 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकारी निकाय" से राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(ट) "कुटुंब का मुखिया" से कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब के मुखिया के रूप में विहित रीति से घोषित, कुटुंब की अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य अभिप्रेत है:

परन्तु यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी पुरुष सदस्य को, कुटुंब की किसी पात्र महिला सदस्य द्वारा उसका स्थान लेने तक, कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा; या यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के किसी भी लिंग के आयु में सबसे बड़े किसी सदस्य को कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा। यदि कुटुंब का ऐसा मुखिया पुरुष है तो वह कुटुंब की किसी पात्र

महिला सदस्य द्वारा उसका स्थान लेने तक ही इस प्रकार मुखिया बना रह सकता है;

(ठ) कुटुंब के किसी सदस्य के संबंध में "पहचान सूचना" में उसका आधार संख्यांक और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना सम्मिलित है;

(ड) "जन आधार आई.डी." से किसी कुटुंब की पहचान करने के लिए धारा 6 के अधीन जारी की गयी विशिष्ट जन आधार आई.डी. अभिप्रेत है;

(ढ) "जन आधार प्लेटफार्म" से निवासी और सरकारी विभाग/सरकारी निकाय के बीच इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सृजित कोई इलैक्ट्रानिक मेकेनिज्म आफ इन्टरफेस अभिप्रेत है;

(ण) "जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार" से इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन सृजित जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार अभिप्रेत है;

(त) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(थ) "लोक कल्याणकारी प्रसुविधा" से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप सेया किसी सरकारी निकाय के माध्यम से किसी व्यष्टि या किसी कुटुंब को, चाहे नकद या वस्तु रूप में, उपलब्ध कराया गया कोई भी लाभ, दान, पुरस्कार, राहत, सहायता, सहायिकी या कोई संदाय अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;

(द) "हकदारी का अभिलेख" से किसी कार्यक्रम या स्कीम के अधीन लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए कोई कुटुंब या उसका कोई भी सदस्य हकदार है, के अभिलेख अभिप्रेत हैं;

(ध) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई इकाई अभिप्रेत है;

(न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(प) "निवेदक इकाई" से कोई सरकारी विभाग या सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो (यदि अपेक्षित हो) अधिप्रमाणन के लिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को प्रस्तुत करता है;

(फ) "निवासी" से, उसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों सहित, ऐसा निवासी, जिसने राजस्थान के किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह मास या इससे अधिक तक निवास किया है, या ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र में आगामी छह मास या उससे अधिक तक निवास करने का आशय रखता है, अभिप्रेत है;

(ब) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(भ) "सेवा" से किसी कुटुंब या किसी व्यष्टि को किसी भी रूप में उपलब्ध करायी गयी कोई सामग्री, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;

(म) "सत्यापन" से नामांकन के समय कुटुंब के मुखिया या किसी वयस्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गयी पहचान सूचना की शुद्धता को सत्यापित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2
अधिप्रमाणन

3. लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार और/या जन आधार का अधिप्रमाणन और सबूत आवश्यक होना.- राज्य सरकार, किन्हीं ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी व्यष्टि की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यष्टि आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. का अधिप्रमाणन करवाये या उसके कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक और कोई जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की गयी है वहां ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करेः

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और

सेवाओं के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा स्कीम अधिसूचित करना.- राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं और सेवाएं, जिनके लिए धारा 3 के अनुसार ऐसे अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित हैं, अधिसूचित करेगी।

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 का लागू होना.- केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन पर लागू होंगे।

अध्याय 3
जन आधार कार्ड

6. जन आधार कार्ड के लिए नामांकन.- (1) राज्य का प्रत्येक निवासी कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी सबसे बड़े या वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो विहित रीति से प्रस्तुत करके जन आधार कार्ड अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कुटुंब के सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो प्राप्त होने पर प्राधिकरण, सूचना का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सत्यापन करने के पश्चात्, कुटुंब का नामांकन करेगा और उस कुटुंब को एक विशिष्ट जन आधार आई.डी. समनुदेशित करेगा जो एक विशिष्ट रैंडम संख्यांक होगा।

7. जन आधार आई.डी. की मुख्य बातें.- (1) किसी कुटुंब को समनुदेशित जन आधार आई.डी. एक विशिष्ट संख्यांक होगा और यह किसी भी अन्य कुटुंब को पुनः समनुदेशित नहीं किया जायेगा।

(2) जन आधार आई.डी. एक रैंडम संख्यांक होगा और जन आधार आई.डी. धारक की विशेषताओं या पहचान से उसका कोई संबंध नहीं होगा।

(3) जन आधार आई.डी. को, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के प्रयोजन के लिए, भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में, कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जायेगा और अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा(1) के खण्ड (द) में समनुदेशित किया गया है।

8. जन आधारकार्ड.- (1) धारा 6 के अधीन नामांकन हो जाने पर प्राधिकरण, कुटुंब के मुखिया को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई होके संदाय पर, जो विहित की जाये, जन आधार कार्ड जारी करेगा।

(2) यदि कुटुंब का कोई भी सदस्य इस निमित्त किये गये किसी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो उसे भी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो के संदाय पर, जो विहित की जाये, व्यष्टिक जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा।

अध्याय 4
जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार और सूचना का संरक्षण

9. जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का सृजन.- (1) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के रूप में सभी जन आधार कार्ड धारकों की पहचान सूचना और फोटो का डाटाबेस ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सृजित और संधारित करेगा।

(2) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को सृजित और संधारित करने के लिए और जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के बारे में ऐसे किन्हीं भी अन्य कृत्यों का, जो विहित किये जायें, पालन करने के लिए किसी एजेंसी को, जिसे वह समुचित समझे, लगा सकेगा।

10. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता.- (1) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण-

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अंगीकृत और क्रियान्वित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगायी गयी एजेंसियां, परामर्शी, सलाहकार या अन्य व्यक्तियों के पास सूचना के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किये गये करार या ठहराव इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर अधिरोपित बाध्यताओं के समान बाध्यताएं अधिरोपित करते हैं, और ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्य करने की अपेक्षा करेगा।

(3) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसी कोई भी एजेंसी, जो जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का संधारण करती है, चाहे अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात्, जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में भंडारित कोई सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार के सिवाय, किसी को भी प्रकट नहीं करेगीः

परन्तु जन आधार कार्ड धारक की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में भंडारित कोई भी सूचना, ऐसे धारक को उसके द्वारा किये गये अनुरोध पर विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से, प्रकट की जा सकेगी।

(4) केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन सूचना के संरक्षण पर लागू होंगे।

11. सूचना साझा करने पर निर्बंधन.- (1) जन आधार कार्ड धारक की इस अधिनियम के अधीन संगृहीत किसी भी पहचान सूचना और फोटो तथा जन आधार आई.डी. को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी कारण से चाहे वह जो कोई भी हो, किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा।

(2) जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो को, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो विहित किये जायें, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जायेगा।

(3) कल्याणकारी स्कीमों के लिए हिताधिकारियों की पहचान करने और प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं के मामले में सूचना का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो का उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा।

12. किसी निवेदक इकाई द्वारा सूचना को साझा किया जाना.- (1) किसी निवेदक इकाई के पास उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो को,-

(क) निवेदक इकाई द्वारा, पहचान सूचना के अधिप्रमाणन का अनुरोध करते समय जन आधार आई.डी. धारक के लिए विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा; और

(ख) जन आधार आई.डी. धारक की पूर्व सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) कोई निवेदक इकाई, किसी जन आधार आई.डी. धारक के अधिप्रमाणन लॉग को कुटुंब के अनुरोध पर संबंधित जन आधार आई.डी. धारक के साथ साझा कर सकेगी।

13. पहचान सूचना और फोटो में परिवर्तन.- (1) यदि किसी जन आधार कार्ड धारक कुटुंब के किसी सदस्य की कोई भी पहचान सूचना और फोटो गलत पाया जाता है या उसमें बाद में परिवर्तन हो जाता है तो कुटुंब का मुखिया या कुटुंब का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य ऐसी पहचान सूचना या, यथास्थिति, फोटो का जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में कुटुंब के अभिलेख में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, परिवर्तन करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से, या उप-धारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसी जांच या/और सत्यापन के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में अपेक्षित हों, और कुटुंब के मुखिया और संबंधित सदस्य को ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

(3) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में कोई भी पहचान सूचना और फोटो, इस अधिनियम में उपबंधित रीति के सिवाय, परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

अध्याय 5

सेवाओं का परिदान और प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण

14. सेवाओं का परिदान.- (1) राज्य सरकार, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से परिदत्त की जाने वाली सेवाओं की सूची केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, ई-मित्र नेटवर्क के माध्यम से या ऐसे अन्य साधनों, जो वह उचित समझे, के माध्यम से, हिताधिकारियों को उनके घर तक या उनके निवास-स्थान के समीप लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान करने का प्रयास करेगा।

(3) ई-मित्र नेटवर्क का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध प्राधिकरण में निहित होगा।

15. हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के पश्चात्, हिताधिकारी के बैंक खाते में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं किसी कुटुंब की हैं तो कुटुंब के मुखिया के बैंक खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।

16. सेवा परिदान के लिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का उपयोग.- (1) राज्य सरकार, धारा 4 और धारा 14 के अधीन यथा अधिसूचित समस्त लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान, सरकारी विभाग या सरकारी निकाय के माध्यम से, अधिप्रमाणन के पश्चात्, जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से करेगी।

(2) प्रत्येक विभाग, धारा 14 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के संबंध में किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों के अपने विभागीय डाटाबेस को जन आधार आई.डी., बैंक खाता संख्यांक और आधार संख्यांक से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, युक्त करेगा।

(3) जब एक बार विभागीय डाटाबेस को युक्त किये जाने का कार्य पूरा हो जाता है तो विभाग अपने स्वयं के स्तर पर आगे डाटाबेस सृजित नहीं करेंगे और भविष्य में किन्हीं भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का अन्तरण और सेवाओं का परिदान करने के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो का उपयोग करेंगे।

17. संव्यवहार मैपर.- केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का और इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का प्रत्येक संव्यवहार इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अभिलिखित किया जायेगा।

18. सामाजिक लेखापरीक्षा.- (1) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समितियों में या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किसी अन्य फोरम में विहित की जाये, की जायेगी।

(2) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियां राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जायेंगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "ग्राम सभा" और "वार्ड समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 6
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

19. प्राधिकरण की स्थापना और गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण स्थापित और गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण अध्यक्ष और ऐसी संख्या में शासकीय और गैर-शासकीय सदस्यों, जो राज्य सरकार नियुक्त करे, से मिलकर बनेगा।

(6) राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

20. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें, विनियमों द्वारा, विनिर्दिष्ट करना;

(ख) हिताधिकारियों को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के लिए विद्यमान इलैक्ट्रानिक अवसंरचना का विस्तार करना;

(ग) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को सृजित, मानीटर और संधारित करना;

(घ) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के उपयोग के लिए नीति विरचित करना;

(ङ) जन आधार प्लेटफार्म में नयी सेवाएं जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(च) राज्य के निवासियों के वित्तीय समावेश के लिए लाइन एजेंसियों के सहयोग से समुचित कदम उठाना;

(छ) अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन को मानीटर करना;

(ज) भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों और सरकारी निकायों के बीच समन्वय करना;

(झ) जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं को मानीटर करना;

(ञ) विनियम विरचित करना और संशोधित करना;

(ट) ऐसी समितियों या कार्य बलों या समूहों या उप-समितियों को नियुक्त करना जो प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों;

(ठ) जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करना;

(ड) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को क्रय, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा अर्जित करना, जो प्राधिकरण के क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों;

(ढ) साहाय्य, कारपोरेट सामाजिक दायित्व या कोई अन्य सहायता स्वीकार करना;

(ण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना;

(त) राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न डाटाबेसों को जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के साथ सिंक्रोनाइज करने और एकीकृत करने के लिए एक कॉमन मेकेनिज्म डिजाइन करना;

(थ) विभिन्न रूपविधानों में भंडारित कुटुंब और व्यष्टि डाटाबेसों के दोहराव को रोकते हुए सटीक और व्यापक जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार डिजाइन करना;

(द) डैशबोर्डों का रखरखाव करना और कालिक रूप से तथा राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार करना;

(ध) लाइन विभागों के तकनीकी दल के साथ समन्वय करना;

(न) समाज के कमजोर वर्ग के लिए संस्थागत वित्त (उधार) हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि) को लगाकर अवसर सृजित करना;

(प) बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क के सृजन के लिए बैंकों के साथ समन्वय करना;

(फ) बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट को नियुक्त करना और बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क का प्रबंध करना;

(ब) डिजिटल संदाय और आधार समर्थित संदायों के प्रचार के लिए अवसंरचना का संवर्धन करना;

(भ) बैंक रहित क्षेत्रों में नकद निकासी और संव्यवहार सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

(म) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करना और बैंकिंग कवरेज का विस्तार करना;

(य) क्रेडिट और बीमा स्कीमों का विस्तार करना;

(यक) राजस्व गांवों में ए.टी.एम. स्थापित करना;

(यख) प्राधिकरण के अधीन विनियमों की विरचना के माध्यम से ई-मित्र नेटवर्क विनियमित करना;

(यग) ई-मित्र नेटवर्क का रखरखाव और संवर्धन करना;

(यघ) ई-मित्र के वर्तमान नेटवर्क को कियोस्कों के अधिक स्वचालन और यंत्रीकरण द्वारा मजबूती प्रदान करके नवीकृत करना;

(यङ) ई-वाणिज्य सेवाओं के लिए ई-मित्र को भौतिक परिदान निक्षेपागार के रूप में विकसित करना;

(यच) ई-मित्र को परिदान करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से ई-मित्र द्वारा प्रमाण-पत्रों इत्यादि का घर तक परिदान सुनिश्चित करना;

(यछ) ई-मित्र प्लस कियोस्क नेटवर्क की स्थापना करना और उसका रखरखाव करना;

(यज) ई-मित्र कियोस्क संचालकों को बैंकों के, लाइन विभागों के पदधारियों और ई-वाणिज्य विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षित करना; और

(यझ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या साधक हों।

21. गैर-शासकीय सदस्य की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें.- (1) प्राधिकरण का गैर-शासकीय सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) गैर-शासकीय सदस्य को संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(3) गैर-शासकीय सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर, ऐसे गैर-शासकीय सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

22. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगा जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

23. कार्यकारिणी समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति गठित करेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

(3) कार्यकारिणी समिति तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगी जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(4) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) ऐसे सभी प्रश्न, जो कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक के समक्ष उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

24. प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के आदेशों का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के समस्त आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित की जायेंगी।

25. महानिदेशक की नियुक्ति.- राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया जायेगा। वह, प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ख) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के तौर-तरीके नियत करना और उनकी प्रभावी मानीटरी तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबंध करना;

(घ) प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में कालिक रूप से जांच और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए, लेखाओं का सही और ठीक ठीक रखरखाव करना;

(ङ) प्राधिकरण के वार्षिक आय-व्यय के लेखे और तुलनपत्र तैयार करना;

(च) विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समय-समय पर की गयी प्रगति को सम्मिलित करते हुए अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना संधारित करना;

(छ) वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर कार्यवाही करना और उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना;

(ज) प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में बैठकें, सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करना और रिपोर्टें तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(झ) प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी देने के लिए विडियो, वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों का निर्माण करना; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

26. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के इतनी संख्या में पद और उनके प्रवर्ग सृजित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और ये निधि में से संदत्त किये जायेंगे।

अध्याय 7

अनुदान, लेखे, लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

27. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान.- राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान-मण्डल की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को अनुदानों के रूप में ऐसी

धनराशि संदत्त करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे।

28. प्राधिकरण की निधि.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा, धारा 27 के अधीन संदत्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त, निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जुटायी गयी सहायता और उधार;

(ख) प्राधिकरण द्वारा फीस के रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि;

(ग) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी अन्य धनराशि।

(3) प्राधिकरण के गैर-शासकीय सदस्यों को भत्तों के संदाय, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों के संदाय को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में उपगत खर्चों की पूर्ति करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग किया जायेगा।

29. प्राधिकरण का बजट.- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कोई भी व्यय उपगत नहीं करेगा।

30. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा और आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित की जाये और उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन भी अन्तर्विष्ट होगा।

31. लेखे और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जायें, रखे जायेंगे और उनकी लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा, या ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय, जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, द्वारा की जायेगी ।

(2) प्राधिकरण अपने लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रति, उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

32. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 8
अपराध और शास्तियां

33. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति.- जो कोई भी जन आधार कार्ड धारक की पहचान सूचना और फोटो को धारा 10 के उल्लंघन में साझा या प्रकाशित करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और उस व्यक्ति को, जो ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है, प्रतिकर देने का दायी होगा।

34. निवेदक इकाई द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति.- जो कोई भी निवेदक इकाई होते हुए धारा 12 के उल्लंघन में किसी व्यष्टि की पहचान सूचना का उपयोग करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और उस व्यक्ति को, जो ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है, प्रतिकर देने का दायी होगा ।

35. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म में कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 9
विविध

36. सदस्यों, अधिकारियों इत्यादि का लोक सेवक होना.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

37. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय, कि कोई प्रश्ननीति का प्रश्न हैया नहीं, अंतिम होगा।

38. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन.- प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, धारा 40 के अधीन की शक्ति के सिवाय, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राधिकरण की कार्यकारिणी

समिति, किसी भी सदस्य या अधिकारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

39. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सरकार या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

40. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

41. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विषयों के लिए उपबंध करने हेतु, जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हैं, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

42. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे किसी नियम या विनियम में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

43. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

44. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पनन होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित

आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगतन हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

45. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां और किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।